

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
-------------	---------------------------------------



तन ग्राम खडेल परकार एलक एलक नरमिक  
 खडेल जिला भीठ राज. का मोक निरीक्षण  
 कर वर्तमान कज्जा काइत एवं बार्ड मीटिंग  
 एम्स 41 वाउचर के निर्धारन के आकार  
 पर प्रकृत प्रकृत लगान उपम कर, प्रकृत-प्रकृत  
 मिन बट्टा नम्बर जालते हुए नमशा हेम के तरकीब  
 कर विस्तृत विभाजन प्रताप तैपार कर, विस्तृत  
 विभाजन प्रताप प्रकरण में आगाही निपत गरीप  
 पेशी दिनांक 10-01-2018 से पूर्व न्यायालय के  
 आवरक रूप से अिजवामे। प्रारम्भित डिक्री की पालन  
 में विस्तृत विभाजन प्रताप तैपार कर अिजवामे  
 हेतु तहरीर अपेश जारी होकर पत्रावली  
 दिनांक 10-01-2018 को पेश हो

01/11/18  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खडेल (सीकर)

10-1-18

वकील वादी उपप। पत्रावली पूर्व दिनांक 14-2-18 को पेश हो। प.० हाइक अन्य कार्य से अिजवा  
 हो

14-2-18

वकील वादी उपप। प.० हाइक अन्य कार्य से अिजवा  
 पत्रावली दिनांक 7-3-18 को पेश हो



7-3-18

वकील वादी उपप। प.० हाइक अिजवा हो। पत्रावली  
 अिजवा कार्यवाही हेतु दिनांक 14-3-18 को पेश हो

14<sup>03</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रार-  
 म्भित डिक्री की अनुपालना में तहमीलदार खडेल  
 से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रताप दिनांक 09-03-2018 को अिजलेख पर लिखा जात है।  
 प्रकरण में अहम वकील वादी सुनी गई। दोरने  
 अहम वकील वादी ने प्रारम्भित डिक्री की पालन  
 में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रताप से पूर्व  
 सहमति माहिर करते हुए प्रारम्भित विस्तृत  
 विभाजन प्रताप प्रकरण में अिज डिक्री



ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	<p>जारी छिये जाने का निवेदन छिया।</p> <p>पत्रावली, पत्रापली पर उपलब्ध राजाव रिपोर्ट एवं प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालन में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन छिया गया। मुँछि विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से वकील वादी ने पूर्ण सहमति जाहिर की है। अतः मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद अन्तिमरूपेण डिक्री छिया जात है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजाव रिपोर्ट में अमल दरामद हो। तदनुसार प्रकरण में पचा डिक्री मुतीव हो। पत्रावली ऊँतल सुमार होकर नम्बर से क्रम से तथा वाद तब्तमील फाजिल पफतर हो। निर्णय ले इजलास मुनाफा गया।</p> <p style="text-align: center;">   <b>उपस्थ अधिकारी</b>  <b>गण्डेला (सीकर)</b> </p>	

अन्तिम

# डिक्री मुकदमा इत्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला (सीकर)

व इजलास श्री भागीरथ शाख, RAS

① मोहनलाल पुत्र राजेन्द्रमल \* बनाम ① उदारमल पुत्र उंकारमल \*  
दावा बाबत तंकारमा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 164 रात 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS  
हाजिरी श्री राजेन्द्र कुमार शीवा धर्म मिनजानिब मुद्दई रुबरु

मिनजानिब मुद्दायलह पेश हांकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

करी का बाद मुताबिड विरुद्ध विभाजन प्रताग अन्तिम  
रूपेण डिक्री डिक्रि जात है। विरुद्ध विभाजन प्रताग अन्तिम  
डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिड विरुद्ध विभाजन प्रताग  
राजा-व रिकार्ड में अमल दराअद हो।

मिज \* गुबलिंग \* रात \* खान \* ख

अर्जी इस मुकदमें के गल सूद नशरह \* ख \* फौजदारी का अन्त आज की तारीख से  
तारीख अदायगी तक \* ख \* का अदा करे।

गसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 03 रात 2018 को

जारी की गई



दस्तखत

ओहदा अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सनूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजाराय हुकमनामा		
बाबत इजाराय हुकमनामा			मुतफरिह		
मुतफरिह					

यह प्रतिहोना प्रमाणित किया

सरियतेदार  
वकालत उपखण्ड अधिकारी  
खण्डेला (सीकर)

मीजान

× जाति गानी निवासी कतेहपुरा रोड काडावाली जोडी तम  
खठेला तहसील खठेला जिला मीठा (राज)

- (पादी)

बनाम


× जाति माफु निवासी कतेहपुरा भौमियान तहसील  
खठेला जिला सीकर (राज)

① राजेन्द्र पुत्र काबू राम जाति गुर्जर निवासी मेहेवे  
री गनी खठेला तहसील खठेला जिला मीठा (राज)

② श्रमिधारी तहसीलदार खठेला जिला सीकर (राज)

- (प्रतिवादीगण)



  
उपखण्ड अधिकारी  
खठेला (सीकर)